

बीमा की अवधि:	से _____ तक _____		
बीमा-रक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या	कुल पूँजीगत बीमा राशि		
पूँजीगत बीमा राशि तय करने का आधार	☐ फ्लैट आधार ☐ श्रेणीबद्ध ☐ मासिक वेतन के गुणक के रूप में		
चुनी गई मूल बीमा सुरक्षा (एक या अधिक का चयन करें)	☐ दुर्घटनावश मृत्यु (एडी) ☐ स्थायी पूर्ण विकलांगता (पीटीडी)		
वैकल्पिक एक्सटेंशन बीमा सुरक्षा	लागू नहीं		
यदि आप प्रीमियम में परिणामी कमी के साथ पॉलिसी के अंतर्गत बीमा सुरक्षा के अपवर्जन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया उल्लेख करें।	☐ ऑन ड्यूटी बीमा सुरक्षा (कृपया आधिकारिक घंटों को उल्लेख करें: _____ घंटे से _____ घंटे तक। ☐ ऑफ ड्यूटी बीमा सुरक्षा ☐ अन्य (कृपया उल्लेख करें) _____		

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में व्यक्तियों की सूची प्रदान करें जिन्हें बीमित किया जाना है।

नाम	नियोजन का स्थान	जोखिम श्रेणी ^ (I/ II/III)	पूँजीगत बीमा राशि

जोखिम श्रेणियाँ :

- I) चिकित्सक, वकील, लिपिकीय और प्रशासनिक कर्मचारीगणों में शामिल व्यक्ति
- II) भवन निर्माता, ठेकेदार, साइट पर इंजीनियर, श्रमिक, मैकेनिक, ड्राइवर और दिहाड़ी श्रमिक
- III) खदानों, विस्फोटक इकाइयों, लाइन पर विद्युत प्रतिष्ठानों, रेसिंग, सर्कस, स्कीइंग, पर्वतारोहण, बैलूनिंग, शीतकालीन खेलकूद और पोलो में काम करने वाले व्यक्ति

समूह के कुछ प्रकार

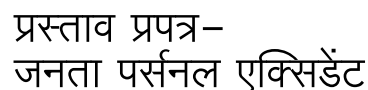
1. पहले से पहचाने गए खंड/समूह जिसमें प्रीमियम का राज्य/केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है।
2. पंजीकृत सहकारी समितियों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्य।
3. किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4. सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों के धारक।
5. स्कूल/कॉलेज के छात्र।
6. सहकारी संघ के सदस्य।
7. किसान/भूमिहीन मजदूर/बीपीएल व्यक्ति/फेरीवाले और विक्रेता।
8. चैरिटेबल ट्रस्ट/सर्विस क्लब के कर्मचारी और सदस्य।
9. अन्य ऐसे ही समूह।

पिछली नीति और दावा विवरण

बीमा की अवधि		बीमाकर्ता का नाम	पॉलिसी संख्या	बीमा सुरक्षा का विवरण	कुल प्रीमियम (रुपये)	दावों की कुल राशि
से	तक					
दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.	दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.					
दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.	दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.					
दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.	दि. दि. म. म. व. व. व. व. व.					

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ :

1. इस प्रस्ताव प्रपत्र या किसी पूरक सूचना प्रपत्र या आपके द्वारा या आपकी ओर से दिए गए दस्तावेज़ में आप हमें जो जानकारी देते हैं, वह बीमा की पेशकश करने के हमारे निर्णय और इसकी पेशकश की शर्तों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, हम जो भी पॉलिसी जारी करेंगे, वह आपके द्वारा हमें बताई गई जानकारी पर आधारित होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके उत्तर सभी मामलों में पूर्ण और सटीक हों।
2. इस प्रस्ताव में पूछे गए प्रश्न संपूर्ण नहीं बल्कि सांकेतिक हैं। आपको हमें बीमा किए जाने वाले जोखिम से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी, भले ही यह इस प्रस्ताव में किसी प्रश्न का विषय न हो। यदि आपको इस बात पर कोई संदेह है कि कौन सी जानकारी दी जानी चाहिए, तो आपको अपने बीमा सलाहकार/कंपनी से संपर्क करना चाहिए।
3. आपके प्रस्ताव की स्वीकृति कंपनी द्वारा पूर्ण प्रीमियम राशि की वसूली के अधीन होगी।
4. अपवर्जन/समावेशन सूची और अन्य पॉलिसी विवरण सांकेतिक हैं। पूरी सूची और विस्तृत विवरणों के लिए, कृपया पॉलिसी शब्दावली देखें।



कृपया भुगतान का तरीका विकल्प पर टिक करें: ☐ नकद ☐ चेक/एनईएफटी/डीडी भुगतान विकल्प ☐ डिजिटल भुगतान

चेक/एनईएफटी/डीडी नंबर

चेक/एनईएफटी/डीडी तिथि दि. दि. म. म. व. व. व. व.

[illegible]

राशि आकड़ो में (रु.)

--	--	--	--	--	--	--	--

राशि शब्दों में (रु.)

प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से दावों/वापसी के भुगतान के लिए, कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: (कृपया प्रस्ताव प्रपत्र के साथ एक निरस्त चेक संलग्न करें)

बैंक का नाम	
-------------	--

शाखा _____ शहर: _____

आईएफएससी कोड

[illegible][illegible]

- मैं अपनी ओर से तथा बीमा हेतु प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की ओर से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन, उत्तर और/या विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं तथा मैं इन अन्य व्यक्तियों की ओर से प्रस्ताव करने के लिए प्राधिकृत हूँ।
- मैं/हम एतद द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं और वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई राशि का स्रोत मेरी/हमारी वैध और घोषित आय है।
- मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बीमा पॉलिसी का आधार बनेगी, यह बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अधीन है तथा यह पॉलिसी प्रीमियम के पूर्ण भुगतान के बाद ही लागू होगी।
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद, लेकिन कंपनी द्वारा जोखिम स्वीकृति की सूचना दिए जाने से पहले, बीमित किए जाने वाले व्यक्ति/प्रस्तावक के व्यवसाय या सामान्य स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन की लिखित रूप में सूचना दूंगा/दूंगी।
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कंपनी को किसी भी डॉक्टर या अस्पताल से, जिसने/जिसने कभी भी बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक का इलाज किया है, या किसी भी पास्टर या वर्तमान नियोजक से, किसी भी ऐसी बात के संबंध में चिकित्सा जानकारी मांगने की अनुमति देता/देती हूँ, जो बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और किसी भी बीमाकर्ता से, जिसके पास बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक के बीमा के लिए आवेदन किया गया है, प्रस्ताव के बीमांकन और/या दावा निपटान के उद्देश्य से जानकारी मांगने की अनुमति देता/देती हूँ।
- मैं कंपनी को मेरे प्रस्ताव से संबंधित जानकारी, जिसमें बीमाधारक/प्रस्तावक के मेडिकल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, को केवल प्रस्ताव के बीमांकन और/या दावों के निपटान के उद्देश्य से तथा किसी भी सरकारी और/या नियामक प्राधिकरण के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

दिनांक: दि. दि. म. म. व. व. व. व.

प्रस्तावक के हस्ताक्षर:

स्थान:

प्रस्तावक का नाम:

कंपनी की मूहर:

पदनाम:

एएमएल दिशानिर्देश

1. मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करती/करते हैं कि भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी प्रीमियमों वास्तविक स्रोतों से हैं और इनका भुगतान अपराध संबंधी आय से नहीं किया गया है, और ऐसी प्रीमियमों मेरी/हमारी आय से अधिक नहीं हैं। मैं/हम समझता/समझती/समझते हैं कि कंपनी को धन के स्रोतों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज मांगने और बीमा पॉलिसी को रद्द करने का अधिकार है, अगर मैं/हम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाते हैं।

 दिनांक:

दि	दि	म	म	व	व	व	व
----	----	---	---	---	---	---	---

प्रस्तावक के हस्ताक्षर: _____

 क्या आप या प्रस्तावित आवेदकों में से कोई भी पीईपी* या पीईपी* का करीबी रिश्तेदार/सहयोगी है? ☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" (पीईपी) का विवरण साझा करें:

* (पीईपी) वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी बाहरी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें राष्ट्र या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं।

2. अतिरिक्त जानकारी:

 राष्ट्रियता: भारतीय ☐ गैर-भारतीय ☐ यदि आप गैर-भारतीय हैं, तो कृपया अपने देश का उल्लेख करें: _____

3. संगठन का प्रकार: (जहाँ कोई संगठन प्रस्तावक है, वहाँ लागू। यदि प्रस्तावक व्यक्ति, एकल स्वामी या एचयूएफ है, तो कृपया विकल्प चुनें)

- | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| (i) निगम | (ii) ट्रस्ट | (iii) सरकार | (iv) भागीदारी/एलएलपी | (v) गैर-सरकारी संगठन |
| (vi) सहकारी समितियाँ | (vii) सोसायटी | (viii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी | (ix) पब्लिक लिमिटेड कंपनी | (x) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें _____ |

4. प्रीमियम भुगतान के लिए धन का स्रोत:

व्यवसाय: _____ वेतनभोगी: _____ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): _____

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध

- किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने, उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के रूप में देय कमीशन के पूरे या उसके हिस्से पर कोई छूट या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम पर कोई छूट देने या उसे देने की पेशकश करने की अनुमति नहीं होगी, और न ही पॉलिसी लेने या उसे जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी छूट को छोड़कर, जो बीमाकर्ता की प्रकाशित विवरणिका या तालिकाओं के अनुसार दी जा सकती है, कोई छूट स्वीकार की जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति उप-विनियम (1) का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे अर्धदंड देना होगा, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।

पावती

प्रस्ताव संख्या: _____

 दिनांक:

दि	दि	म	म	व	व	व	व
----	----	---	---	---	---	---	---

हम आपके प्रस्ताव एवं रु. _____ की राशि, दिनांक _____ के चेक/एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/अन्य, जो _____ पर देय है/नकद द्वारा प्राप्त होने को सधन्यवाद स्वीकार करते हैं।

न तो बीमा हेतु किसी पूर्णकृत प्रस्ताव का, और न ही किसी अपेक्षित पॉलिसी हेतु किसी भुगतान का हमारे पास जमा होना हमें पॉलिसी जारी करने के लिए सहमत होने हेतु बाध्य करता है, जिसका निर्णय हमेशा हमारे एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगा। यदि हम बीमा के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो यह पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन होगा और यदि प्रीमियम हमें पूर्ण रूप से और समय पर प्राप्त नहीं होती है या उसे वसूल नहीं किया जाता है, तो हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि हम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम आपको सूचित करेंगे।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

एनईएफटी/ईएफटी अधिदेश प्रपत्र
ग्राहक का विवरण

ग्राहक का नाम																					
पता																					
शहर:											राज्य:										
पिन कोड:						पैन कार्ड नंबर															
पैन कार्ड धारक का नाम																					

खाते का विवरण:

बैंक का नाम																				
खाता संख्या																				
शाखा का नाम																				
भुगतानकर्ता का नाम																				
खाता संख्या																				
खाते का प्रकार																				
बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नाम																				
आईएफएससी कोड																				
रद्द किए गए चेक की प्रति	हाँ ☐ नहीं* ☐																			

(कृपया चेक पर मुद्रित भुगतानकर्ता के नाम और पैन कार्ड की प्रति के साथ एक खाली रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करें)

यदि रद्द किए गए चेक पर ग्राहक का नाम/खाता, कोई/आईएफएससी कोड उपलब्ध नहीं है, तो बैंक के हस्ताक्षर और मुहर और ग्राहक के हस्ताक्षर के साथ एनईएफटी अधिदेश प्रपत्र अनिवार्य है।

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेनदेन में देरी होती है या बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं उपयोगकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।

आदाता के हस्ताक्षर और मुहर

द्वारा सत्यापित

(बैंक अधिकारी की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षर)

आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान संबंधी नियम व शर्तें

- ग्राहकों द्वारा अधिदेश प्रपत्र में दिए गए विवरणों को अंतिम माना जाएगा और मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड उसमें दिए गए किसी भी विवरण के प्रति सत्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- संबंधित ग्राहक(ग्राहकों) के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड को अधिदेश प्रपत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर और/या ऐसी अवधि के भीतर प्रभावी होगी, जैसा कि मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा को सक्रिय करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकती है।
- ग्राहक इस बात से सहमत है कि आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा के अंतर्गत, आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा से संबंधित लागू नियमों में बदलाव के कारण या मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड की ओर से किसी भी गलती/निष्क्रियता/विवलता के बिना या मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड के नियंत्रण से परे किसी भी कारक के कारण भुगतान की क्रेडिट के दिन ग्राहक के खाते में भुगतान न होने का जोखिम हो सकता है।
- ग्राहक बिना किसी देरी या आपत्ति के मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड और उसके एजेंटों की क्षतिपूर्ति करने और मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड और उसके एजेंट को किन्हीं और सभी दावों, क्षतियों, हानियों, लागतों और व्ययों (वकील की फीस सहित) से हर समय हानिरहित रखने के लिए सहमत है, जो मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड को अन्य बातों के अलावा, उपरोक्त खंडों में बताए गए कारणों में से किसी एक से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है।
- ग्राहक इस बात से सहमत है कि आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा के माध्यम से किए गए लेन-देन पर आवक आरटीजीएस/एनईएफटी शुल्क लग सकता है, जो यदि ग्राहक के बैंक द्वारा लगाया जाता है, तो ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।
- मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड इसमें वर्णित किन्हीं नियमों व शर्तों में किसी भी समय संशोधन या अनुपूरण करने का पूर्ण विवेकाधिकार रखता है और नियमों व शर्तों को लागू करने के लिए जहाँ भी संभव हो, ऐसे परिवर्तनों के लिए दस दिनों की पूर्व सूचना देने का प्रयास करेगा। नई सेवाओं का उपयोग कर, या ऐसी अवधि पूरा होने पर, जो भी पहले हो, ग्राहक को परिवर्तित नियमों व शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- दस्तावेजों या बैंक विवरण या किसी अन्य जानकारी को प्रस्तुत करना भर किसी भी तरह से कंपनी द्वारा दायित्व की स्वीकृति को दर्शाता या व्यक्त या इंगित नहीं करता है।
- इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत सूचना हाथ से या ई-मेल द्वारा या मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड की वेबसाइट www.magmainurance.com पर या ग्राहक के अंतिम पते पर डाक द्वारा भेजकर लिखित रूप से दी जा सकती है।
- ये नियम व शर्तें भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित होंगी और इन नियमों व शर्तों के चलते उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्यवाही या कार्यवाही भारत में मुंबई स्थित न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में संस्थित की जाएगी।
- मैं/हम आगे किसी भी अतिरिक्त राशि, जो किसी भी कारण से किसी भी समय मेरे खाते में अतिरिक्त जमा हो गई है, मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड से ऐसी अतिरिक्त क्रेडिट के बारे में ऐसी सूचना या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से ग्राहक की जानकारी में आने वाली अतिरिक्त क्रेडिट की ऐसी सूचना की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर चाहे मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा मांगी गई हो या नहीं, वापस करने का भी वचन देता/देती हूँ/देते हैं।
- मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि मेरा/हमारा दावा भुगतान मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा अपने बैंकों से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से जमा किया जाएगा, यह सुविधा किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिसंहरित न किए जाने तक जारी रहेगी और मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा अपने बैंकों को जारी किया गया कोई भी प्रासंगिक क्रेडिट निर्देश यह निर्देश पूरा होने तक वैध रहेगा, भले ही नोटिस अवधि समाप्त हो गई हो, बशर्ते कि ग्राहक की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले मैग्मा जनरल इश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा ऐसा क्रेडिट अनुरोध किया गया हो।
- (कृपया इस संबंध में दिए गए विवरणों के सत्यापन के लिए एक खाली रद्द किया गया चेक या चेक की फोटोप्रति संलग्न करें)

ग्राहक के हस्ताक्षर और मुहर _____